

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ :: दिनांक :: 15 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में दैवी आपदा राहत कार्यों के लिए अग्निशमन उपकरणों, पी०ए०सी० की बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ उपकरणों तथा राज्य आपदा मोचक बल के गठन के फलस्वरूप विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की पत्रावली संख्या-1100(8)/2013 द्वारा दैवी आपदा राहत कार्यों के लिए अग्निशमन उपकरणों, पी०ए०सी० की बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ उपकरणों तथा राज्य आपदा मोचक बल के गठन के फलस्वरूप विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु क्रमशः रू० 13,22,50,000/- , रू० 5,23,77,000/- एवं रू० 46,90,94,962/- अर्थात् कुल रू० 65,37,21,962/- की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत किये जाने की मांग की गयी है। अतः उक्त प्रयोजन हेतु मांग की गयी धनराशि के सापेक्ष क्रमशः अग्निशमन विभाग हेतु रू० 13,22,50,000/-, पी०ए०सी० हेतु रू० 5,23,77,000/- तथा राज्य आपदा मोचक बल के लिये उपकरणों आदि हेतु रू० 40,96,41,509/- अर्थात् कुल धनराशि रू० 59,42,68,509/- (रुपये उनसठ करोड़ बयालिस लाख अड़सठ हजार पाँच सौ नौ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(अग्निशमन विभाग के उपकरणों हेतु)

क्र. सं.	रैस्क्यू टूल्स का विवरण	संख्या	स्वीकृत धनराशि (रू० में)
1	रैस्क्यू टूल्स (कटर/स्पेडर/रेम जैक/ न्यूमैटिक सेट/लिफ्टिंग बैग/ प्राईमोवर/ फुट पम्प/लीक सीलिंग पैड इत्यादि) 15 परिक्षेत्रीय जनपद एवं अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव हेतु 01-01 सेट	16 सेट	8,00,00,000/-
2	पाजिटिव प्रेशर वेन्टीलेटर (18 परिक्षेत्रीय जनपद/गौतमबुद्धनगर/ गाजियाबाद एवं अग्निशमन	21	52,50,000/-

	प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव हेतु 01-01 सेट		
3	Accoustic+Probe Type (प्रथम चरण में प्रदेश के पश्चिमांचल/ मध्यांचल एवं पूर्वांचल के जनपद मेरठ/लखनऊ एवं वाराणसी तथा अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव हेतु 01-01 अदद)	04	60,00,000/-
4	केमिकल सूट (18 परिक्षेत्रीय जनपद/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद एवं अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव हेतु 04-04 अदद)	84	84,00,000/-
5	ब्रीदिंग आपरेटर्स विद डीएसयू (18 परिक्षेत्रीय जनपद/गौतमबुद्धनगर/ गाजियाबाद एवं अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव हेतु 04-04 अदद)	84	1,26,00,000/-
6	फायर सर्विस अधिकारियों/ कर्मचारियों को एफएसटीसी, उन्नाव में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु (विभिन्न प्रकार के SIMULATOR जैसे-कार/बस/ ट्रेन/ट्रान्सफार्मर/ किचेन में अग्नि दुर्घटना एवं बीओसेट ट्रेनिंग गैलरी इत्यादि)		2,00,00,000/-
तेरह करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र			13,22,50,000/-

(पीओसीओ की बाढ़ राहत कम्पनियों के उपकरणों हेतु)

क्रसं	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रु० में)
1	मेगाफोन	289	15,89,500/-
2	इन्फ्लेटेबुल लाइटिंग सिस्टम	34	1,36,00,000/-
3	रोप नायलान फ्लोटिंग (16 एमएम)	1275 (क्रि०ग्रा०)	6,37,500/-
4	फ्लोटिंग पम्प	34	51,00,000/-
5	मार्डन किचन (50 जवानों हेतु)	17	3,14,50,000/-
पाँच करोड़ तेइस लाख सतहत्तर हजार मात्र			5,23,77,000/-

(राज्य आपदा मोचक बल के गठन के फलस्वरूप विशेषीकृत उपकरणों आदि के क्रय हेतु)

क्रसं	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रु० में)
1	COLLAPSED STRUCTURE SEARCH & RESCUE (CSSR) KITS	126 विभिन्न प्रकार के आइटम	21,59,03,034/-
2	MEDICAL FIRST RESPONSE (MFR) KITS	75 विभिन्न प्रकार के आइटम	3,23,71,704/-
3	EQUIPMENTS REQUIRED FOR AMBULANCE DURING INDEPENDENT DEPLOYMENT WITH TEAM UNIT	36 विभिन्न प्रकार के	25,24,200/-

		आइटम	
4	DIVING EQUIPMENT	06 विभिन्न प्रकार के आइटम	11,84,76,000/-
5	INDIVIDUAL KITS	05 विभिन्न प्रकार के आइटम	73,18,350/-
6	WATER RESCUE EQUIPMENTS	04 विभिन्न प्रकार के आइटम	2,60,95,500/-
7	संचार उपकरण (24 अदद वी0एच0एफ0 सेट तथा 09 अदद मोबाइल सेटेलाइट सर्विसेज सिस्टम)	33 विभिन्न प्रकार के आइटम	18,24,000/-
8	श्वान (18 श्वानों के क्रय)	18 श्वान	8,10,000/-
9	टेण्ट (63 डी0एफ0 छोलदारी कम्पलीट, 04 डी0एफ0 स्लीपिंग पाल कम्पलीट, 12 सिंगल फ्लाई छोलदारी, 06 सवार पाल, 27 वाटर प्रूफ टेंट)	112 विभिन्न प्रकार के आइटम	19,99,871/-
10	प्रशिक्षण हेतु उपकरण	--	23,18,850/-
	चालीस करोड़ छियानबे लाख इकतालीस हजार पाँच सौ नौ मात्र		40,96,41,509/-
	कुल योग		59,42,68,509/-
(उनसठ करोड़ बयालिस लाख अड़सठ हजार पाँच सौ नौ मात्र)			

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 के दिशा-निर्देशों के क्रम में फायर सर्विस अधिकारियों/ कर्मचारियों को एफएसटीसी, उन्नाव में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु (विभिन्न प्रकार के SIMULATOR जैसे-कार/बस/ट्रेन/ट्रान्सफार्मर/किचन में अग्नि दुर्घटना एवं बी0ए0सेट ट्रेनिंग गैलरी इत्यादि) हेतु ₹0 2,00,00,000/- तथा राज्य आपदा मोचक बल के प्रशिक्षण हेतु धनराशि ₹0 23,18,850/- अर्थात् कुल ₹0 2,23,18,850/- मात्र कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मद से तथा अवशेष धनराशि ₹0 57,19,49,659/- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु आवश्यक खोज, बचाव, इवैकुएशन एवं संचार उपकरणों आदि के क्रय मद से स्वीकृत की जा रही है।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि व्यय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों एवं भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

6- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। गृह विभाग, उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

7- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

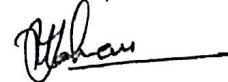
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-230(1)/1-10-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2/16
- 10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(मदन मोहन)

उप सचिव।